# बिहार सरकार,
## कृषि विभाग।

पत्र संख्या–4/कृ०शि०को– 24/2015– 4520 /कृ0, पटना, दिनांक 25/10/2016

प्रेषक,

रामजी सिंह,
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत राशि 721.5843 लाख रूपये के अधीन तत्काल 645.396 लाख रू० (छः करोड़ पैंतालीस लाख उनचालीस हजार छः सौ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वर्ष 2016–17 में राज्य योजना अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं विभिन्न कृषि/उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत कर्मियों के वेतनादि के भुगतान, स्थापना से संबंधित अन्य मद तथा कोर्डिनेटेड वेराइटल ट्रायल एवं 3डी प्रिंटर के लिए 4509.90 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ नौ लाख नब्बे हजार रूपये) की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत राशि 721.5843 लाख रूपये के अधीन तत्काल 645.396 लाख रू० (छः करोड़ पैंतालीस लाख उनचालीस हजार छः सौ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध को सुदृढ़ करने के लिए राज्य योजना मद से सबौर में एक नये कृषि विश्वविद्यालय के साथ–साथ उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय/ मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा/ भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ/ वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव/ डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज की स्वीकृति विगत वर्षो में दी गयी है। उक्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में पठन–पाठन का कार्य शुरू हो चुका है।

3. उपरोक्त में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के लिए स्थापना से संबंधित मदों में राशि की आवश्यकता का आकलन निम्न प्रकार से किया गया है, (राशि लाख रू० में)

| संस्थान का नाम | बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, मुख्यालय | वीर कुँवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमराँव | भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णियाँ | उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय | मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा | डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि की आवश्यकता | 2305.0166 | 440.4759 | 510.0683 | 817.4667 | 368.9707 | 67.9018 | 4509.90 |

मदवार विवरण अनुसूची–1 संलग्न है। डॉ० कलाम कृषि महाविद्यालय में स्वीकृत पद के विरूद्ध नई नियुक्तियाँ नहीं की गई है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैज्ञानिक एवं कर्मी कार्यरत है।

4. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

5. उक्त योजनान्तर्गत व्यय हेतु स्वीकृत राशि 645.396 लाख रू० (छः करोड़ पैंतालीस लाख उनचालीस हजार छः सौ रूपये) का व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित बजट मुख्य शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0103–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– P2415017890103 राज्य योजना स्कीम कोड– AGR-5042 के अधीन निम्न विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, (राशि लाख रू० में)

| विषय शीर्ष | उपबंधित राशि | पूर्व में स्वीकृत राशि | वर्तमान में स्वीकृत राशि | वर्तमान में व्यय के लिए स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|---|
| विषय शीर्ष– 31 04 सहायक अनुदान–वेतन | 500.00 | 0 | 576.1883 | 500.00 |
| विषय शीर्ष– 31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा | 460.00 | 48.90 | 145.396 | 145.396 |
| **कुल** | **960.00** | **48.90** | **721.5843** | **645.396** |

6. व्यय हेतु स्वीकृत राशि 645.396 लाख रू० की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करेंगे एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को उपलब्ध करायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा तुरंत कृषि महाविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जायेगी। विश्वविद्यालय के द्वारा बजट में उपबंधित मदों के अनुसार राशि का व्यय किया जायेगा। मदवार व्यय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग से दिशा–निर्देश प्राप्त किये जा सकेंगे। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत हैं।

7. अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय से पूर्व प्राप्त रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार, बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

8. वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–2561 दिनांक 17.4.98 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9. विश्वविद्यालय स्वीकृत राशि की मदवार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र, महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजेगा एवं इसकी प्रतिलिपि कृषि विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

10. महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा। विश्वविद्यालय व्यय से संबंधित लेखा पंजी का संधारण करेगा तथा विहित अंकेक्षण दल को यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

11. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.09.2016 को स्वीकृति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को– 24/2015 के पृ0सं0–60/टि. पर प्राप्त है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–4/कृ०शि०को–24/2015 के पृ0सं0– 63/टि. पर दिनांक– 07.10.2016 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

(रामजी सिंह) 24/X/16
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4520 / कृ0, पटना, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / उप महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4520 / कृ0, पटना, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4520 / कृ0, पटना, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर / नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4520 / कृ0, पटना, दिनांक 25/10/, 2016

प्रतिलिपिः– उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव / सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना / निदेशक, पी.पी.एम. (कृषि विभाग) बिहार, पटना / निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना / मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, बक्सर / संयुक्त कृषि निदेशक (मु0), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना / मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना / कृषि विभाग (मुख्यालय) के सभी संबंधित पदाधिकारी एवं योजना शाखा / बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के बेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

# अनुसूची– 1

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा इसके अधीन राज्य योजना से संचालित महाविद्यालय के लिए स्थापना/अनुसंधान से संबंधित मद में राशि की आवश्यकता

(राशि लाख रू० में)

| Sl. No. | Description of Item | BAU Sabour, Bhagalpur, Hq | VKS Agri College Dumraon | BPS Agri. College Purnea | Nalanda Hort. College, Nalanda | MB Agri. College, Saharsa | Dr. Kalam Agri. College, Kishanganj | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salary | 1817.4952* | 352.1509 | 421.7433 | 729.1417* | 280.6457 | 0 | 3601.1768 |
| 2 | Prize/Gift | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 3 | Medical Reimbursement | 4.125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.125 |
| 4 | T.A, etc. | 7.513 | 7.513 | 7.513 | 7.513 | 7.513 | 0 | 37.565 |
| 5 | Office Expenses | 140.94 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 290.94 |
| 6 | Vehicle Runnig Expense | 17.721 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 1 | 52.321 |
| 7 | Telephone | 6.171 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 0.25 | 27.061 |
| 8 | Electricity | 157 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.694 | 167.334 |
| 9 | Legal expense | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.6 |
| 10 | Liveries | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
| 11 | Printing and Publications | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 0.1078 | 8.6328 |
| 12 | Visitors/Guests | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 2.827 | 0.2 | 14.335 |
| 13 | Conference/ Seminar | 13.97 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.2 | 41.77 |
| 14 | Material & Supplies | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 5 | 66.05 |
| 15 | Minor work & Repair | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 49.5 |
| 16 | Business & Spl. Services | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 30.5 |
| 17 | Coordinated Varietal Trial | 39.47 | | | | | | 39.47 |
| 18 | 3D Printer | 65.3194 | | | | | | 65.3194 |
| | **Total** | **2305.0166** | **440.4759** | **510.0683** | **817.4667** | **368.9707** | **67.9018** | **4509.90** |

*विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं उद्यान महाविद्यालय, नालंदा में स्थापना मद में वर्ष 2015–16 में बजट उपलब्ध नहीं रहने के कारण आवश्यकता से कम राशि स्वीकृत किया जा सका था। अतः विश्वविद्यालय मुख्यालय के लिए अवशेष राशि 566.5498 लाख रूपये एवं नालंदा उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय के लिए 87.0921 लाख रूपये को वर्ष 2016–17 के मांग में शामिल किया गया है।